

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस



नं० - 73/2021 (2021/00115)

विकास पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

— वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राजेश पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादी

वकील श्री सतवीर बेनीवाल : प्रतिवादी सं० 1 व 2

निर्णय

दिनांक : 23/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 बीएचडी के खाता सं० 136/122 के मु०नं० 80 के किला नं० 18 ता 20, कुल किता 3 की 0.759 है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा, चक नं० 2 बीएचडी के खाता सं० 4/4 के मु०नं० 44 के किला नं० 16, 17, 21 ता 25 कुल किता 7 की 1.7710 है० नहरी, मु०नं० 59 के किला नं० 1 ता 15, 17 ता 24 कुल किता 23 की 5.8190 है०, मु०नं० 60 के किला नं० 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किले में 0.025 है० गै०मु० खाला कुल किता 5 की 1.2650 है० में नहरी 1.1400 है० गै०मु० खाला 0.1250 है०, कुल खसरा 35 की 8.8550 है०, जिसमें नहरी 8.7300 है०, गै०मु० खाला 0.1250 है० में से प्रतिवादी सं० 1 का 1/16 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है। चक नं० 2 एमएसआर के खाता सं० 8/110 के मु०नं० 39 के किला नं० 1 ता 5 प्रत्येक में नहरी 0.228 है० गै०मु० खाला 0.025 है०, किला नं० 6 ता 25 सम्पूर्ण नहरी, कुल किता 25 की 6.3250 है०, जिसमें नहरी 6.2000 है० गै०मु० खाला 0.125 है० मु०नं० 40 के किला नं० 1 ता 4 प्रत्येक में नहरी 0.228 है० गै०मु० खाला 0.025 है० किला नं० 5 नहरी 0.202 है० गै०मु० खाला 0.051 है०, किला नं० 6 नहरी 0.228 है० गै०मु० खाला 0.025 है० किला नं० 7 ता 14 सम्पूर्ण नहरी, किला नं० 15, 16 प्रत्येक में नहरी 0.228 है०, गै०मु० खाला 0.025 है०, किला नं० 17 ता 24 सम्पूर्ण नहरी, किला नं० 25 नहरी 0.228 है० गै०मु० खाला 0.025 है०, कुल किता 25 की 6.3250 है० में से नहरी 6.0740 है०, गै०मु० खाला 0.2510 है० मु०नं० 51 के किला नं० 1 ता 5 सम्पूर्ण नहरी, कुल किता 5 की 1.2650 है० मु०नं० 52 के किला नं० 1 ता 5 सम्पूर्ण नहरी कुल किता 5 की 1.2650 है० कुल किता 60 की 15.1800 है० में से नहरी 14.8040 है० व गै० मु० खाला 0.3760 है० में से प्रतिवादी सं० 1 का 1/16 हिस्सा दर्ज है। चक 6 बारानी के खाता सं० 8/8


उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

के मु०नं० 58 के किला नं० 21 ता 23 सम्पूर्ण बारानी, किला नं० 24 गै० मु० रास्ता 0.013 है०, बारानी 0.240 है०, कुल किता 4 की 1.0120 है० में बारानी 0.9990 है०, किता 5 की 1.2650 है० मु०नं० 59 किला नं० 16, 17, 23, 24, 25 सम्पूर्ण बारानी कुल बारानी, कुल किता 9 की 2.2770 है० बारानी, मु०नं० 71 के किला नं० 3 ता 8, 13 ता 15 सम्पूर्ण बारानी, किला नं० 4 गै० मु० रास्ता 0.025 है० बारानी, मु०नं० 72 के किला नं० 1 ता 3 सम्पूर्ण रास्ता 0.013 है० बारानी 0.0240 है० किला नं० 8 ता 13 सम्पूर्ण बारानी, किला नं० 14 गै० मु० रास्ता 0.013 है० बारानी 0.2400 है० कुल किता 30 की 7.5900 है०, जिसमें बारानी 7.5260 है० गै०मु०रास्ता 0.0640 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 2 बीएचडी के खाता सं० 107/102 के मु०नं० 36 के किला नं० 7 ता 14, 17 ता 24, मु०नं० 40 के किला नं० 4 ता 7, 14, 15 कुल किता 6 की 1.518 है०, जिसमें नहरी 1.4680 है० गै०मु० खाला 0.050 है० मु०नं० 41 के किला नं० 1 ता 4, 7 ता 13 कुल किता 11 की 2.7830 है० जिसमें नहरी 2.6830 है० गै०मु०खाला 0.1000 है० कुल खसरा 33 की 8.3490 है०, जिसमें नहरी 8.1990 है०, गै०मु० खाला 0.1500 है० कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त आराजी वादी के दादा श्रीचन्द की हुआ करती थी जो उसकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं० 1 औमप्रकाश व उसके भाई हनुमान बलवान व सुरजाराम के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 2 की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2 का जन्म से हक हिस्सा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं० 3 को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी सं० 4 परोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी विकास के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 1 बीएचडी के खाता सं० 136/122 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 2 बीएचडी के खाता सं० 4/4 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 2 एमएसआर के खाता सं० 8/110 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 3, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 6 बारानी के खाता सं० 8/8 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 4, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 2 बीएचडी के खाता सं० 107/102 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 5, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 2 एमएसआर के खाता सं० 97/52 सम्वत् 2065 से 68 प्रदर्श 6, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 6 बारानी के खाता सं० 9/7 सम्वत् 2065 से 68 प्रदर्श 7, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।


बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद कृषि भूमि वादी के दादा श्रीचन्द की हुआ करती थी जो उनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं० 1 औमप्रकाश व उसके भाई हनुमान, बलवान व सुरजाराम के नाम दर्ज हो गई तथा वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 की

57
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2 का जन्म से हक हिस्सा है।

हमने वकील वादी की बहस मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 1 बीएचडी, चक 2 बीएचडी, चक 2 एमएसआर, चक 6 बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि वादी के दादा श्रीचन्द्र की हुआ करती थी जो उनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं० 1 औमप्रकाश व उसके भाई हनुमान, बलवान व सुरजाराम के नाम दर्ज हो गई तथा वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2 का जन्म से हक हिस्सा है जिसकी पुष्टि में वादी ने चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 1 बीएचडी के खाता सं० 136/122 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 2 बीएचडी के खाता सं० 4/4 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 2 बीएचडी के खाता सं० 107/102 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 5, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 2 एमएसआर के खाता सं० 97/52 सम्वत् 2065 से 68 प्रदर्श 6, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 6 बारानी के खाता सं० 9/7 सम्वत् 2065 से 68 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये है उनके वाद भूमि वादी के दादा श्रीचन्द्र वल्द श्योराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना व श्रीचन्द्र से ही प्रतिवादी सं० 1 को प्राप्त होना साबित है एवं सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 में औमप्रकाश के वारिसान/सदस्यों में पत्नि सिलोचना व दो पुत्र विकास व राजेश होना एवं अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 बीएचडी के खाता सं० 136/122 के मु०नं० 80 के किला नं० 18 ता 20, कुल किता 3 की 0.759 है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा, चक नं० 2 बीएचडी के खाता सं० 4/4 के मु०नं० 44 के किला नं० 16, 17, 21 ता 25 कुल किता 7 की 1.7710 है० नहरी, मु०नं० 59 के किला नं० 1 ता 15, 17 ता 24 कुल किता 23 की 5.8190 है०, मु०नं० 60 के किला नं० 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किले में 0.025 है० गै०मु० खाला कुल किता 5 की 1.2650 है० में नहरी 1.1400 है० गै०मु० खाला 0.1250 है०, कुल खसरा 35 की 8.8550 है०, जिसमें नहरी 8.7300 है०, गै०मु० खाला 0.1250 है० में से प्रतिवादी सं० 1 का 1/16 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है। चक नं० 2 एमएसआर के खाता सं० 8/110 के मु०नं० 39 के किला नं० 1 ता 5 प्रत्येक में नहरी 0.228 है० गै०मु० खाला 0.025 है०, किला नं० 6 ता 25 सम्पूर्ण नहरी, कुल किता 25 की 6.3250 है०, जिसमें नहरी 6.2000 है० गै०मु० खाला 0.125 है० मु०नं० 40 के किला नं० 1 ता 4 प्रत्येक में नहरी 0.228 है० गै०मु० खाला 0.025 है० किला नं० 5 नहरी 0.202 है० गै०मु० खाला 0.051 है०, किला नं० 6 नहरी 0.228 है० गै०मु० खाला 0.025 है० किला नं० 7 ता 14 सम्पूर्ण नहरी, किला नं० 15, 16 प्रत्येक में नहरी 0.228 है०, गै०मु० खाला 0.025 है०, किला नं० 17 ता 24 सम्पूर्ण नहरी, किला नं० 25 नहरी 0.228 है० गै०मु० खाला 0.025 है०, कुल किता 25 की 6.3250 है० में से नहरी 6.0740 है०, गै०मु० खाला 0.2510 है० मु०नं० 51 के किला नं० 1 ता 5 सम्पूर्ण नहरी, कुल


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

किता 5 की 1.2650 है० नहरी मु०नं० 52 के किला नं० 1 ता 5 सम्पूर्ण नहरी कुल है० व गै० मु० खाला 0.3760 है० में से प्रतिवादी सं० 1 का 1/16 हिस्सा दर्ज है। चक 6 बरानी के खाता सं० 8/8 के मु०नं० 58 के किला नं० 21 ता 23 सम्पूर्ण बरानी, किला नं० 24 गै० मु० रास्ता 0.013 है०, बरानी 0.240 है०, कुल किता 4 की 1.0120 है० में बरानी 0.9990 है०, गै०मु० रास्ता 0.0130 है० मु०नं० 59 किला नं० 16, 17, 23, 24, 25 सम्पूर्ण बरानी कुल किता 5 की 1.2650 है० बरानी, मु०नं० 71 के किला नं० 3 ता 8, 13 ता 15 सम्पूर्ण बरानी, कुल किता 9 की 2.2770 है० बरानी, मु०नं० 72 के किला नं० 1 ता 3 सम्पूर्ण बरानी, किला नं० 4 गै० मु० रास्ता 0.025 है० बरानी 0.228 है० किला नं० 7 गै०मु० रास्ता 0.013 है० बरानी 0.0240 है० किला नं० 8 ता 13 सम्पूर्ण बरानी, किला नं० 14 गै० मु० रास्ता 0.013 है० बरानी 0.2400 है० कुल किता 30 की 7.5900 है०, जिसमें बरानी 7.5260 है० गै०मु०रास्ता 0.0640 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 2 बीएचडी के खाता सं० 107/102 के मु०नं० 36 के किला नं० 7 ता 14, 17 ता 24, मु०नं० 40 के किला नं० 4 ता 7, 14, 15 कुल किता 6 की 1.518 है०, जिसमें नहरी 1.4680 है० गै०मु० खाला 0.050 है० मु०नं० 41 के किला नं० 1 ता 4, 7 ता 13 कुल किता 11 की 2.7830 है० जिसमें नहरी 2.6830 है० गै०मु०खाला 0.1000 है० कुल खसरा 33 की 8.3490 है०, जिसमें नहरी 8.1990 है०, गै०मु० खाला 0.1500 है० कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त घोषणा अनुसार वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 तीनों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़